(क) प्ररूप आईटीआर-v के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप आईटीआर- V	**भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन प्ररूप** [जहां आयकर विवरणी के डाटा प्ररुप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है, किंतु इलैक्ट्रानिक रूप में सत्यपित नहीं की गई है] (कृपया आय-कर नियम,1962 का नियम 12 देखें)		**निर्धारण वर्ष 2025-26**
नाम			
पैन		**प्ररुप संख्या**	
धारा ... के अधीन फाइल की गई ।		**ई-फाइलिंग पावती संख्या**	

सत्यापन

मैं .... , ... का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या... द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य और पूर्ण है तथा वह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस विवरणी को मैं ... अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूं। मेरा स्थाई खाता संख्या ....(पैन) है।

हस्ताक्षर →			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आई.पी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			

अनुदेश:

1. कृपया आप आधार ओटीपी का उपयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन या पूर्व में विधिमान्य किए गए बैंक खाते/डीमेट अकाउंट का उपयोग करके ई.वी.सी सृजित या बैंक एटीएम के माध्यम से सृजित ई.वी.सी. का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करें। अनुकल्पतः, सम्यक रूप से विधिवत हस्ताक्षरित (नीली स्याही में अधिमानतः) प्ररुप आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा "केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500" को भेज सकेंगे ।
2. प्ररुप आईटीआर-V आय-कर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य रीति से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस प्ररुप आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।
3. सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी फाइल करने की पावती को आय विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया के पूरा होने के सबूत के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. हस्ताक्षर के लिए उपबंधित खाने में ही कृपया हस्ताक्षर करें। आईटीआर-V में दिए गए खाने से भिन्न कहीं और हस्ताक्षर करना अविधिमान्य है।
5. जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है और आईटीआर-v को डाटा के पारेषण से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषण करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रुप में समझा जाएगा ।
6. जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है किंतु आईटीआर-v को डाटा पारेषण करने की तीस दिन की समय-सीमा से परे प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटीआर-v को प्रस्तुत करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में समझा जाएगा और अधिनियम के अधीन विवरणी विलंब से प्रस्तुत करने परिणाम लागू होंगे।";

(ख (आईटीआर प्ररुप पावती के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा-, अर्थात:-

"<u>भारतीय आयकर विवरणी पावती</u> **[जहां आयकर विवरणी का डाटा प्ररुप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल किया गया है, और सत्यापित किया गया है]** **(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)**				**निर्धारण वर्ष** **2025-26**
पैन				
नाम				
पता				
प्रास्थिति		प्ररुप संख्या		
धारा... के अधीन फाइल किया गया		ई-फाइलिंग पावती संख्या		
कराधेय आय और कर ब्यौरे	वर्तमान वर्ष कारबार हानि, यदि कोई हो		1	
	कुल आय			
	मैट के अधीन बही लाभ, जहां लागू हो		2	
	एएमटी के अधीन समायोजित कुल आय, जहां लागू हो		3	
	संदेय शुद्ध कर		4	
	संदेय ब्याज और फीस		5	
	संदेय कुल कर ब्याज और फीस		6	
	संदत्त कर		7	
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (6-7)		8	
समवर्धित आय और कर ब्यौरे	धारा 115नघ के अधीन वर्धित आय		9	
	धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त कर		10	
	धारा 115नङ के अधीन संदेय ब्याज		11	
	संदेय अतिरिक्त कर और ब्याज		12	

	संदत्त कर और ब्याज	13	
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (12-13)	14	
तारीख .... को ....आईटी पते से इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित आयकर विवरणी .... द्वारा सत्यापित की गई..पैन रखने वाले.....................................को.................................. .. *पेपर आईटीआर सत्यापन प्ररुप / इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का उपयोग करके ....पद्धति के माध्यम से सृजित किया गया।			
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड			

जो लागू न हों, उसे काट दें

इस पावती को सी.पी.सी,बैंग्लूरू को नहीं भेजे"।